



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 225

राँची : 06/3/2024

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर।
वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

विषय :- मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क निर्माण हेतु 6.80 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का पत्रांक 100 दिनांक 16.02.2024

महाशय,

उल्लेखनीय है कि Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications) 2019 के पारा 7.8(i)(f) यथा "Approach road/conveyor belt and other ancillary activities related to mining shall be considered as part of the mining project and should therefore be processed accordingly."

मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा वन (संरक्षण एवं समवर्धन), अधिनियम, 2023 के तहत लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्ताव अभी प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित है।

साथ में प्रयोक्ता अभिकरण समर्पित प्रस्ताव की KML file में रेल मार्ग एवं सड़क का संरेखन एक दूसरे से अलग-अलग दर्शाया गया है। उपरोक्त दोनों संरेखन के बीच में पूर्व से अवस्थित water body भाग भी परिलक्षित हो रही है। क्या दोनों संरेखन साथ-साथ दर्शाया नहीं जा सकता है ? इस संबंध में भी प्रयोक्ता अभिकरण से औचित्य स्पष्ट कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक 225

दिनांक 06/3/2024

प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।